न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

निगरानी संख्या– 119/2012–13

श्री इरफान आदि

–बनाम–

श्री सद्दीक आदि

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री पी0के0 गर्ग।
अधिवक्ता उत्तरदाता : श्री प्रेमचन्द्र शर्मा।
उपस्थिति : श्री सुभाष कुमार, आई0ए0एस0 अध्यक्ष।

बावत
मौजा कासमपुर, परगना ज्वालापुर,
तहसील व जिला हरिद्वार।

निर्णय

यह निगरानी विद्वान अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी द्वारा निगरानी संख्या–13/2012–13 सद्दीक बनाम इरफान आदि में पारित आदेश दिनांक 23–08–2013 के विरूद्व योजित की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में निगरानीकर्तागण ने एक प्रार्थना पत्र कलेक्टर/अपर कलेक्टर, हरिद्वार को दिनांक 05–05–98 को इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि भूमि प्रबन्धक समिति कासमपुर द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 23–03–98 जिसे उप जिलाधिकारी, हरिद्वार ने दिनांक 31–03–98 को स्वीकृत किया है को निरस्त कर दिया जाय, क्योंकि उक्त प्रस्ताव से जिन्हें भूमि आवंटित की गई है वे पात्र व्यक्ति नहीं है और ना ही प्रस्ताव पारित करने से पूर्व पात्रता सूची तैयार की गई है। आवंटन से पूर्व प्रचार–प्रसार भी नहीं कराया गया है।

विद्वान अपर कलेक्टर, हरिद्वार ने उभयपक्षों की सुनवाई के पश्चात निर्णयादेश दिनांक 28–09–2002 से इस विवेचना सहित की विपक्षीगण/आवंटीगण के पक्ष में किया गया आवंटन प्रस्ताव दिनांक 23–03–98 नियमानुसार विधिक प्रकिया अपनाये न जाने के कारण निरस्त होने योग्य है और निर्णयादेश से आवंटन प्रस्ताव दिनांक 23–03–98 एवं स्वीकृति दिनांक 31–03–98 निरस्त कर दिये। इस आदेश के विरूद्व प्रतिपक्षीगण ने विद्वान अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी दिनांक 31–10–2012 को धारा–5 मियाद अधिनियम सहित प्रस्तुत की गई। विद्वान अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 23–08–2013 से धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। इस आदेश के विरूद्व निगरानीकर्तागण ने यह निगरानी इस न्यायालय में योजित की है।

अधिवक्ता पक्षकारों के तर्क सुने गये एवं अवर न्यायालयों की वाद पत्रावलियों तथा प्रस्तुत विधिक व्यवस्थाओं का अवलोकन किया गया।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि भूमि प्रबन्धक समिति, कासमपुर के आवंटन प्रस्ताव दिनांक 23–03–98 जिसकी स्वीकृति उप जिलाधिकारी, हरिद्वार ने दिनांक 31–03–98 को दी है को निरस्त कराने हेतु वाद विचारण न्यायालय अपर कलेक्टर, हरिद्वार के समक्ष योजित किया गया था और अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 28–09–2002 से आवंटन प्रस्ताव एवं स्वीकृति को निरस्त कर दिया था। विचारण न्यायालय में वाद इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि प्रस्ताव दिनांक 23–03–98 जिसकी स्वीकृति दिनांक 31–03–98 को दी गई फर्जी तरीका अपनाकर किया गया एवं प्रस्ताव में पात्र व्यक्तियों की कोई सूची तैयार नहीं की गई है। आवंटन प्रस्ताव से पूर्व ग्राम में डुग–डुग्गी पीटकर कोई मुनादी नहीं कराई गई और न ही कोई एजेण्डा घुमाया गया, जबकि आवंटीगण पात्र व्यक्ति नहीं थे। आवंटीगण में से कई व्यक्तियों के पास अपने पक्के मकान थे एवं कई आवंटीगण भूमि प्रबन्धक समिति के रिश्तेदार एवं सगे सम्बन्धी हैं। प्रस्ताव के समय ग्राम प्रधान के विरूद्व निलम्बन की कार्यवाही लम्बित थी। विचारण न्यायालय में प्रतिपक्षीगण सद्दीक व रसीद एवं अन्य आवंटीगण पर नियमानुसार नोटिस तामील कराया गया था एवं सद्दीक व रसीद द्वारा अपना अधिवक्ता नियुक्त किया गया था व जबावदावा प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में सभी पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त ही आदेश दिनांक 28–09–2002 पारित किया गया है। विचारण न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांक 28–09–2002 की पूर्ण जानकारी सद्दीक व रसीद व अन्य आवंटीगण को आदेश के दिनांक से ही है। आदेश पारित होने के गई वर्ष बाद तक भी रसीद पुत्र माडू जीवित रहा परन्तु उसने कोई निगरानी प्रस्तुत नहीं की। अपर कलेक्टर के आदेश के 10 वर्ष बाद कालबाधित निगरानी प्रस्तुत की। कालबाधित होने के उपरान्त भी अपर आयुक्त ने निगरानी में आदेश दिनांक 06–11–2011 एवं 21–11–2012 से निगरानी सुनवाई हेतु स्वीकार कर ली जिसके विरूद्व मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या–2617 वर्ष 2012 इस्लाम बनाम सद्दीक प्रस्तुत हुई जिसमें मा0 उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 22–05–2013 पारित करते हुए अपर आयुक्त के आदेश निरस्त कर धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर उसका निस्तारण करने के निर्देश दिए। प्रतिपक्षीगण ने अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत निगरानी में धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में देरी का कोई कारण नहीं दर्शाया है जिसमें उन्होंने केवल यह कथन किया है कि अवर न्यायालय की कार्यवाही की जानकारी उन्हें कर्मचारी, अधिकारी एवं भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्यों द्वारा माह अक्टूबर, 2012 में निगरानीकर्तागण के घर जाकर उनके आवास में हस्तक्षेप करने से हुई है। प्रतिपक्षीगण ने अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत निगरानी में देरी का कोई सन्तोषजनक कारण दर्शित नहीं किया है। 10 वर्ष बाद 16 आवंटियों में से मात्र 02 आवंटियों ने निगरानी

अपर आयुक्त के समक्ष योजित की है जिसमें शेष आवंटीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपर आयुक्त ने उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों को नजरअन्दाज कर धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है जो विधिक रूप से पोषणीय नहीं है। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने ए0एल0आर0 2013(100) पृष्ठ–697 मा0 उच्चतम न्यायालय की विधिक व्यवस्था भी प्रस्तुत की।

अधिवक्ता उत्तरदाता ने तर्क दिया कि उत्तरदातागण को विचारण न्यायालय के आदेश 28–09–2002 की जानकारी 10 वर्ष पश्चात हुई जब भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्यों एवं राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा उत्तरदातागण के घर पर जाकर हस्तक्षेप किया गया। विधिक व्यवस्थाओं में भी विलम्ब के सम्बन्ध में उदारता का दृष्टिकोण अपनाये जाने का उल्लेख है। उत्तरदातागण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिलना चाहिए। विचारण न्यायालय के वाद एवं आदेश की जानकारी उत्तरदातागण के पिता को नहीं हुई और न ही कोई नोटिस उन्हें प्राप्त हुआ। उत्तरदातागण को आपत्ति एवं सुनवाई का कोई अवसर विचारण न्यायालय में प्राप्त नहीं हुआ। अपर आयुक्त ने भली–भांति परीक्षण के पश्चात ही मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। निगरानी में कोई बल नहीं है और निरस्त होने योग्य है।

उत्तरदातागण ने विद्वान अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपनी निगरानी के पृष्ठ–3 के प्रस्तर–9 में यह उल्लेख किया है कि निगरानीकर्तागण सद्दीक एवं निगरानीकर्ता संख्या–2 से 5 तक के पिता एवं पति मृतक रसीद अहमद को निम्न न्यायालय से कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ और इस कारण उन्हें विचारण न्यायालय की कार्यवाही एवं वाद की जानकारी नहीं हो सकी, जबकि विधिवत नोटिस भेजा जाना आवश्यक था। विचारण न्यायालय की वाद पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय की वाद पत्रावली के पेपर नम्बर–12/11 पर उपलब्ध नोटिस जो विचारण न्यायालय द्वारा सद्दीक पुत्र माडू को प्रेषित किया गया है पर चस्पानगी की रिपोर्ट अंकित है जिसकी गवाही दो व्यक्तियों द्वारा की गई है एवं इस नोटिस पर प्रधान ग्रामसभा कासमपुर के हस्ताक्षर एवं मुहर भी अंकित है। इसी प्रकार विचारण न्यायालय की वाद पत्रावली के पेपर नम्बर–12/7 पर उपलब्ध नोटिस जो रसीद पुत्र माडू का है पर रसीद का अंगूठा निशानी एवं प्रधान के हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित है। विचारण न्यायालय की वाद पत्रावली के पेपर नम्बर–22/7 पर सद्दीक पुत्र माडू एवं पेपर नम्बर–22/8 पर रसीद पुत्र माडू का शपथ पत्र भी लगा है। विचारण न्यायालय की वाद पत्रावली के पेपर नम्बर–15 पर सद्दीक पुत्र माडू एवं रसीद पुत्र माडू एवं अन्य का अभिभाषक पत्र भी लगा है। विचारण न्यायालय की वाद पत्रावली के पेपर नम्बर–29/1 पर मूल वाद के प्रतिपक्षी संख्या–1 सद्दीक, 2–रसीद पुत्रगण माडू एवं अन्य प्रतिपक्षीगण का उत्तरपत्र/जबावदावा भी दिनांक 04–12–98 को पत्रावली पर दाखिल है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उत्तरदातागण (अवर निगरानी न्यायालय के निगरानीकर्तागण) को विद्वान अपर

कलेक्टर, हरिद्वार के समक्ष गतिमान वाद की पूर्ण जानकारी थी अतः उनका विद्वान अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत निगरानी में विलम्ब क्षमा हेतु यह तर्क कि उनके पिता को विचारण न्यायालय से कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ मान्य नहीं है। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से यह प्रथमदृष्टया ही स्पष्ट होता है कि उत्तरदातागण को प्रश्नगत वाद की पूर्ण जानकारी थी। विद्वान अपर आयुक्त के निर्णयादेश दिनांक 23–08–2013 का भी अवलोकन किया। इस निर्णयादेश के पृष्ठ–1 व 3 में भी उत्तरदातागण के द्वारा विचारण न्यायालय में जबावदावा प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख है। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि उन्हें प्रश्नगत आदेश एवं वाद की कार्यवाही की सम्पूर्ण जानकारी थी। विद्वान अपर आयुक्त ने 10 वर्ष पश्चात कालावधि से बाधित निगरानी में विलम्ब क्षमा हेतु प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय में उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यो के दृष्टिगत होते हुए भी त्रुटिपूर्ण ढंग से विलम्ब क्षमा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है जबकि उपलब्ध अभिलेखों से यह पूर्णतया सिद्व होता है कि उत्तरदातागण को विचारण न्यायालय के वाद की सम्पूर्ण जानकारी थी। उत्तरदातागण द्वारा विद्वान अपर आयुक्त के समक्ष योजित निगरानी में प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर भी ऐसा कोई ठोस कारण एवं पुख्ता तथ्य उल्लिखित नहीं किया है जिससे यह सिद्व हो कि उन्हें विचारण न्यायालय के वाद एवं कार्यवाही की कोई जानकारी नहीं थी। अधिवक्ता निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत विधिक व्यवस्था ए0एल0आर0 2013(100) पृष्ठ–697 बस्वराज व अन्य बनाम विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी व अन्य में भी मा0 उच्चतम न्यायालय में यह सिद्वान प्रतिपादित किया गया है कि:–

Limitation Act, 1963-Secttion 5- Delay in filing appeal-Condonation of- Rejected by the High court on ground that there was no sufficient cause-Appeal preferred after 5-1/2 years-No satisfactory explanation for the delay-No power to a Court to extend period of limitation on equitable grounds.

अतः विद्वान अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–08–2013 त्रुटिपूर्ण है एवं निरस्त होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में निगरानी बलयुक्त होने के कारण स्वीकार की जाती है एवं अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–08–2013 निरस्त किया जाता है। अवर न्यायालयों की वाद पत्रावलियाँ वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

दिनांकः 5 जुलाई, 2014

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष,
राजस्व परिषद।